

प्राप्ति के साथ प्रत्युत रिफाई यह साबित नही  
 करता है कि यह <sup>रहित</sup> गृह रिफाइंग पुनर्भी  
 लाल जगपतराय <sup>रहित</sup> किन्तु गन्त है। प्रत्युत  
 प्राप्ति धारा 136 CR Act के तहत सेटलमेंट  
 के दौरान हुई गृह के <sup>रहित</sup> गृह के गृह मनेडिंग  
 जाता है ~~अतः~~ यह प्राप्ति धारा 136 अ  
 राज्य अधिनियम के तहत प्रत्युत होना नही  
 पाया जाता है अतः प्राप्ति स्वार्थि किन्तु  
 जाता है पिता की अल्पमत परिवर्तन के लिये  
 हेतु प्राप्ति सहाय आशालय में धारा 136 के  
 अनुलोप प्राप्त कर सकता है। पञ्चमी फल  
 सुभा होकर नया <sup>रहित</sup> होकर की जाकर 136 तकनीक  
 कारखाने दफला <sup>रहित</sup> जावे।

उप जिला कलेक्टर  
 हिण्डान सिटी, जिला करौली